specified; so as to reduce considerably the gaseous emissions from the stacks. No deviation from this clean Technology is to be allowed.

Liquid effluents should be properly treated to conform to the standards stipulated by the State Pollution Control Board. Efforts should be made to recycle/refuse the treated effluent to the maximum extent possible.

Cooling Towers should be provided to eliminate discharge of hot water into the river directly or indirectly.

No liquid effluents from the ash pond should flow into the Chambal river and waste water should be recycled and zero discharge concept should be adopted.

Fly ash should be utilised to the maximum extent possible.

A green belt of adequate width and density should be provided all around the power station by utilising the waste water to the extent possible;

A master plan with zonation should be prepared for Dholpur area by the State Government in order to avoid haphazard growth of industries, human settlements, etc. Expansion of town/industrial estates towards Van Vihar and the Sanctuary as well as the Chambal river should be avoided.

Adequate number of embient air quality monitoring stations should be set up between Dholpur and Agra as also near to Van Vihar and Sanctuary.

गैण्डों की संख्या में कमी

2855. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लखीमपुर खेरी स्थित विश्व-विख्यात दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में मृगों की संख्या में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या विश्व-विख्यात उद्यान में मृगों के अवैध शिकार के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उक्त उद्यान में मृगों की संख्या को पढ़ाने तथा उक्त उद्यान स्थित "गोला ताल पट्टी" को मृग अभयारण्य में बदलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है, और इस संबंध में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) यद्यपि दुधवा में हिरणों के चोरी-छिपे शिकार की कई रिपोर्ट मिली है, राज्य सरकार ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हिरणों की संख्या में किसी प्रकार की कमी होने की सूचना नहीं दी है। दुधवा में वन्य-जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है और चोरी-छिपे शिकार करने वालों के खिलाफ कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) सरकार जेन्डर के आधार पर किसी संरक्षण कार्यक्रम को आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं करती है। "गोला ताल पट्टी" को हिरण अभयारण्य में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Killing of big cats and exporting their bones and other organs

2856. **SHRI SURESH PACHOURI:**
SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Minister of Environment and Forests have recently expressed serious concern over an internal gang operating in Indian Forests and Tiger Reserve killing the big cats and illegally exporting their bones and other organs;